लेटर्स पेटेंट

Mehar Singh, मुख्य न्यायमूर्ति और ***B. R. Tuli,*** ***न्यायमूर्ति***

श्रीमती दासी,-अपीलार्थी

बनाम

डी हनी राम,-प्रत्यर्थी पत्र पेटेंट अपील सं।

1963 का 237.

22 जुलाई, 1968।

लेटर्स पेटेंट-खंड X-हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV)- धाराएँ। 3 (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता- (1908 का अधिनियम 5)- धारा 96-पंजाब न्यायालय अधिनियम (1918 का 6)- धारा 39-उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री को अपास्त करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध पेटेंट अपील- क्या वह विचारणीय है।

अभिनिर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 (ख) 19,21 और 28 के उपबंध यह स्पष्ट करते हैं कि जिस न्यायालय में उक्त अधिनियम के अधीन याचिकाओं पर कार्यवाहियां की जाती हैं, वह स्थापित न्यायालय है और उसके फरमानों और आदेशों की अपीलें उस न्यायालय में होंगी जिसमें सिविल वादों में उसके द्वारा पारित फरमानों और आदेशों से अपीलें की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश से उच्च न्यायालय में अपील या तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 या पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 39 के तहत होती है। ऐसी अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक अपीलीय न्यायालय के रूप में की जाती है और अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एकल न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या आदेश से आगे की अपील, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत, एक डिवीजन बेंच को होती है। उस अपील को हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा वापस नहीं लिया गया है। इसलिए, उक्त अधिनियम के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील में पारित एक विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील विचारणीय है।

माननीय न्यायमूर्ति डी. के. महाजन के न्यायालय की डिक्री, दिनांक 8 मार्च, 1963 से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अधीन लेटर्स पेटेंट अपील।

निर्णय

TULI, ***न्यायमूर्ति---*** *प्रतिवादी धनीराम की पत्नी श्रीमती डस्सी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत इस आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर की कि उसका पति एक श्रीमती रेवती के साथ व्यभिचार में रह रहा था। विद्वत विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 24 जनवरी, 1962 को अपने पति के खिलाफ खर्च के साथ तलाक का आदेश दिया। उस डिक्री के खिलाफ, धनीराम ने एक अपील दायर की, जिसे डी. के. महाजन, जे. ने 8 मार्च, 1963 को स्वीकार कर लिया और श्रीमती डस्सी की याचिका को खारिज कर दिया गया, जिससे पक्षकारों को अपना खर्च वहन करना पड़ा।*

(2) श्रीमती डस्सी ने न्यायमूर्ति डी. के. महाजन के निर्णय से व्यथित होकर यह लेटर्स पेटेंट अपील दायर की है।

(3) प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री एम. सी. सूद ने प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि लेटर्स पेटेंट अपील विचारणीय नहीं है क्योंकि यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में उपबंधित नहीं है। (hereinafter called the Act). इस आपत्ति में कोई दम नहीं है। अधिनियम की धारा 19 में यह प्रावधान है:- "इस अधिनियम के तहत प्रत्येक याचिका को उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर विवाह संपन्न किया गया था या पति और पत्नी रहते हैं या एक साथ रहते हैं।"

"अधिनियम की धारा 3 (ख) में जिला न्यायालय को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-" "जिला न्यायालय" "का अर्थ है, किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए नगर सिविल न्यायालय है, वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में मूल अधिकारिता का प्रमुख सिविल न्यायालय, और इसमें कोई अन्य सिविल न्यायालय शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में माने गए मामलों के संबंध में अधिकारिता के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

अधिनियम की धारा 21 में यह उपबंध किया गया है:- "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो उच्च न्यायालय इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों को, जहां तक हो सके, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) द्वारा विनियमित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 28 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में अदालत द्वारा दिए गए सभी फरमानों और आदेशों के खिलाफ तत्काल किसी भी कानून के तहत अपील की जा सकती है, बशर्ते कि केवल लागत के विषय पर कोई अपील नहीं होगी।

(4) उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों से यह तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि जिस न्यायालय में अधिनियम के अधीन याचिकाओं पर कार्यवाही की जाती है, वह स्थापित न्यायालय है और इसके फरमानों और आदेशों की अपीलें उस न्यायालय में होती हैं, जिसमें सिविल वादों में पारित फरमानों और आदेशों के विरुद्ध अपील की जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा नेशनल टेलीफोन कंपनी बनाम महामहिम के पोस्टमास्टर-जनरल (1) में यह अभिनिर्धारित किया गया था-

"जब किसी प्रश्न को अधिक के बिना एक स्थापित न्यायालय को संदर्भित किया जाता है, तो मेरी राय में, यह सूचित करता है कि उस न्यायालय की प्रक्रिया की सामान्य घटनाओं को संलग्न किया जाना है, और यह भी कि इसके निर्णयों से अपील का कोई भी सामान्य अधिकार इसी तरह संलग्न होता है।"

(5) अधिनियम के अधीन याचिकाओं में पारित डिक्री और आदेशों से इस न्यायालय में अपील या तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 या अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 39 के अधीन है। उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में फरमानों और आदेशों से अपील की सुनवाई करता है और अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में किए गए एकल न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या आदेश से आगे की अपील एक डिवीजन बेंच को लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत होती है और इस अपील को क़ानून द्वारा वापस नहीं लिया गया है। साउथ एशिया इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम एस. बी. सरूप सिंह और अन्य (2) में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई कानून किसी अधिकरण या न्यायालय के आदेश से बिना किसी सीमा के अपील का अधिकार देता है, तो उच्च न्यायालय में अपील उच्च न्यायालय में प्राप्त अभ्यास और प्रक्रिया से संबंधित होगी, जिसमें लेटर्स पेटेंट अपील का अधिकार भी शामिल है। विद्वान वकील ने हमारे समक्ष भारत संघ बनाम मोहिंद्रा आपूर्ति कंपनी (3) के रूप में रिपोर्ट किए गए उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था:-

"मध्यस्थता अधिनियम की धारा 39 (2), सर्वोच्च न्यायालय में अपील को छोड़कर धारा 39 (1) के तहत अपील में पारित आदेश से दूसरी अपील को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है। उपधारा (2) में स्पष्ट संकेत निहित है कि 'दूसरी अपील' पद का अर्थ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन अपील नहीं है। 'दूसरी अपील' पद का अर्थ है धारा 39 (1) के अधीन अपील में पारित आदेश से आगे की अपील, न कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अधीन अपील।

(6) यह और अभिनिर्धारित किया गया कि एकल न्यायाधीश के आदेश से लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अधीन अपील 'दूसरी अपील' होगी और चूंकि 'दूसरी अपील' को लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के अधीन धारा 39 (2) की अपील द्वारा वर्जित किया गया था, इसलिए यह सक्षम नहीं होगा।

(7) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के उनके प्रभुत्त्वों ने अभिनिर्धारित किया कि लेटर पेटेंट अपील माध्यस्थम अधिनियम की धारा 39 (2) में किए गए उपबंध के कारण सक्षम नहीं थी जो विधानमंडल द्वारा लेटर पेटेंट के खंड 37 के आधार पर लेटर पेटेंट के अधीन अपील के अधिकारों को कम करने के लिए सक्षम है। इसलिए, अधिनियम के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से लेटर्स पेटेंट के क्लू 10 के तहत अपील विचारणीय है।

(8) श्रीमती डस्सी ने अपने आरोप के समर्थन में अपने अलावा छह गवाहों को पेश किया कि उसका पति धनीराम श्रीमती रेवती के साथ व्यभिचार में रह रहा था, और धनीराम ने अपीलार्थी श्रीमती डस्सी के आरोप को पलटने के लिए खुद, अपने पिता और श्रीमती रेवती सहित छह गवाहों को पेश किया। विद्वत एकल न्यायाधीश ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत पूरे साक्ष्य पर बहुत सावधानीपूर्वक और बारीकी से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के

खिलाफ व्यभिचार के आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं है। अपीलार्थी के विद्वत वकील द्वारा संपूर्ण साक्ष्य हमारे समक्ष पढ़ा गया है और हमें विद्वत एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष से भिन्न होने का कोई आधार नहीं मिलता है कि मामले में साक्ष्य न तो विश्वसनीय है और न ही किसी दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि पति के खिलाफ व्यभिचार का आरोप साबित हो गया है। व्यभिचार का आरोप एक गंभीर आरोप है और इसे उचित संदेह से परे साबित करना होगा। पति की दलील थी कि श्रीमती रेवती उसकी मौसी थी और उसके साथ उसका कोई अवैध संबंध नहीं था। श्रीमती रेवती को तलाक की याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वह स्वयं गवाह-पेटी में पेश हुई है और कहा है कि धानी राम के साथ उसके कोई अवैध संबंध नहीं हैं।

आम तौर पर, लेटर्स पेटेंट अपील में, पीठ को साक्ष्य पर नए सिरे से विचार करने का अधिकार है, लेकिन जब तक कि बहुत मजबूत आधार नहीं बनाए जाते हैं, लेटर्स पेटेंट बेंच रिकॉर्ड पर साक्ष्य पर उचित विचार करने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्ष को स्वीकार करेगी। तत्काल मामले में अभिलेख पर साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि व्यभिचार का आरोप साबित हो गया है।

(9) ऊपर दिए गए कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

मेहर सिंह, C.J. - मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी (**हरियाणा)**